अनुलग्नक

सर्वेक्षण में बैंकिंग सेवाएं शामिल

बैंकिंग सेवाओं में जमाराशि की स्वीकृति और ऋण (कोर बैंकिंग सेवाएं) और भुगतान सेवाओं, प्रतिभूति कारोबार, आस्ति प्रबंध, वित्तीय परामर्श, निपटान और समाशोधन सेवा आदि जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं (पैरा बैंकिंग सेवाएं) शामिल हैं। वित्तीय बाज़ारों और गतिविधियों के आर्थिक एकीकरण में हुए सुधारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवा व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

जीएटीएस संरचना में परिकल्पना की गई है कि किसी भी वाणिज्यिक सेवा की सुपूर्दगी चार भिन्न-भिन्न पद्धतियों अर्थात् पद्धति 1-सीमापार सेवा, पद्धति 2-विदेश में उपभोग, पद्धति 3-वाणिज्यिक उपस्थिति और पद्धति 4-प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन के माध्यम से की जा सकती है। पद्धति 3 में सेवा आयात करने वाले देश के क्षेत्र में बैंक की वाणिज्यिक उपस्थिति है और इसमें सेवा की सुपुर्दगी की जाती है। वाणिज्यिक उपस्थिति प्रतिनिधि कार्यालयों, शाखाओं, सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं और संवाददाताओं जैसे विभिन्न निवेश साधनों के माध्यम से हो सकती है।

इस सर्वेक्षण में शामिल बैंकिंग सेवाओं में वित्तीय सहायक सेवाएं जैसे (i) जमा खाता प्रबंध सेवाएं, (ii) ऋण संबंधित सेवाएं, (iii) वित्तीय पट्टा सेवाएं, (iv) व्यापार वित्त संबंधित सेवाएं, (v) भुगतान और धन अंतरण सेवाएं, (vi) निधि प्रबंध सेवाएं, (vii) वित्तीय परामर्शी और सलाहकार सेवाएं, (viii) हामीदारी सेवाएं, (ix) समाशोधन और निपटान सेवाएं, और (x) डेरिवेटिव, स्टॉक, प्रतिभूति और विदेशी विनिमय व्यापार सेवाएं शामिल हैं। बैंकिंग कारोबार करते समय बैंक परिचालन देश के निवासियों और उस देश के अनिवासियों की वित्तीय सेवा आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए निवासियों और अनिवासियों को अलग-अलग उपलब्ध कराई गई वित्तीय सेवाओं के बटवारे के साथ सूचना भी एकत्र की गई।

शामिल सेवाएं:

जमा खाता प्रबंध सेवाओं में चेकबुक के लिए शुल्क, इंटरनेट बैंकिंग के लिए शुल्क, ड्राफ्ट या अन्य उपलब्ध कराई गई लिखत पर कमीशन, न्यूनतम शेष नहीं रखने पर दंड आदि के लिए जमाखाता धारकों पर लगाया गया या वसूल किया गया शुल्क और कमीशन और अन्य वसूल किया गया शुल्क शामिल हैं।

ऋण संबंधित सेवाओं में ऋण प्रोसेसिंग शुल्क, विलंब भुगतान या चूक प्रभार तथा समय से पूर्व शोधन प्रभारों जैसे ऋण लेने या उधार देने संबंधित सेवाओं के लिए प्राप्त किया गया शुल्क शमिल है। सुविधा प्रभार और प्रबंध शुल्क, ऋण की अवधि पर पुनः विचार करने संबंधी शुल्क, बंधक शुल्क आदि की भी यहां सूचना दी जानी है।

वित्तीय पट्टा सेवाओं में वित्तीय पट्टा सुविधा का प्रबंध करने के लिए प्राप्त किया गया शुल्क या कमीशन शामिल है। इसमें सीधे या प्रक्रिया से कटौती किए गए शुल्क भी शामिल हैं।

व्यापार वित्त संबंधी सेवाओं में क्रेता और आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऋण का प्रबंध करने, स्टैंड-बाई साख पत्र स्थापित करने/ निर्माण, रखरखाव या प्रबंध करने के लिए शुल्क, फैक्टरिंग सेवाओं के लिए शुल्क, बैंकरों की स्वीकृति, वित्तीय गारंटी जारी करने, प्रतिबद्धता शुल्क, व्यापार बिलों के लिए हैंडलिंग प्रभार शामिल हैं।

भुगतान और मुद्रा अंतरण सेवाओं में स्विफ्ट, टीटी, वायर अंतरण आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवाओं के लिए शुल्क अथवा प्रभार शामिल हैं। एटीएम नेटवर्क सेवाएं, वार्षिक क्रेडिट/डेबिट कार्ड शुल्क, अदलाबदली प्रभार, सेवा के मूल स्थान के लिए शुल्क आदि की भी इसमें रिपोर्ट की जानी है। इसके अलावा विदेशों में राशि भेजने अथवा विदेश से राशि प्राप्त करने के लिए ग्राहक पर प्रभार की रिपोर्ट भी इसमें मी जानी है।

निधि प्रबंध सेवाओं में वित्तीय पोर्टफोलियों के प्रबंध अथवा लागू करने, सामूहिक निवेश प्रबंध के सभी स्वरूप, अभिरक्षा, निक्षेपागार और न्यास सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क अथवा आय शामिल है। शेयरों/इक्विटी की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कमीशन अथवा शुल्क, अभिरक्षक खाते के लिए लेनदेन शुल्क, संचार लागत अथवा अभिरक्षक खाते से संबंधित कोई अन्य शुल्क/प्रभार की भी रिपोर्ट की जाए।

वित्तीय परामर्शी और सलाहकार सेवाओं में सलाह, मध्यस्थता तथा ऋण संदर्भ और विश्लेषण सहित अन्य सहायक वित्तीय सेवाओं, विलय और अधिग्रहणों पर सलाह तथा कंपनी पुनर्संरचना एवं रणनीति पर सलाह के लिए शुल्क शामिल हैं। शेयरों/इक्विटी के निजी नियोजन के लिए उपाय/व्यवस्था को भी शामिल किया जाए।

हामीदारी सेवाओं में हामीदारी शुल्क, नई जारी की गई प्रतिभूतियों की समस्त अथवा अनिवार्य अंश के क्रय और पुनर्विक्रय से आय शामिल हैं।

समाशोधन और निपटान सेवाओं में प्रतिभूतियों, डेरिवेटिव उत्पाद सहित वित्तीय आस्तियों और अन्य परक्राम्य लिखतों के लिए निपटान और समाशोधन सेवाएं शामिल हैं।

डेरिवेटिव, स्टॉक, प्रतिभूति, विदेशी विनिमय कारोबार सेवाओं में वित्तीय डेरिवेटिव लेनदेन, नियोजन सेवाएं संचालित करने के लिए प्राप्त कमीशन, मार्जिन शुल्क तथा मोचन शुल्क आदि शामिल हैं। बैंक के अपने खाते के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से विदेशी विनिमय कारोबार संचालित करने पर प्राप्त आय की भी इस मद के अंदर रिपोर्ट की जाए। विदेशी विनिमय दलाली सेवाओं के लिए स्पष्ट दलाली शुल्क और कमीशन की रिपोर्ट भी की जाए। डेरिवेटिव, स्टॉक, प्रतिभूति आदि में कारोबार संचालित करने के लिए बैंक के स्वयं के खाते पर प्राप्त आय की रिपोर्ट नहीं की जाए।

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सांख्यिकी पर एक तकनीकी दल (टीजी-एसआईटीबीएस) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया था जिसमें वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और बैंक के विभिन्न विभागों (आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग और सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग) के सदस्य शामिल थे।

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सांख्यिकी पर एक तकनीकी दल (टीजी-एसआईटीबीएस) ने रिज़र्व बैंक में उपलब्ध विभिन्न आंकड़ा स्रोतों की जांच के बाद वार्षिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवाओं में गतिविधि-वार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संकलन की सिफारिश की थी और यह सुझाव दिया था कि प्रारंभ में भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों और विदेशों में परिचालन करने वाले भारतीय बैंकों से बैंकिंग सेवाओं पर आंकड़े संकलित किए जाए। बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सांख्यिकी पर एक तकनीकी दल (टीजी-एसआईटीबीएस) ने यह सिफारिश भी की थी कि उन बैंकों के परामर्श से व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ एक उपयुक्त प्रश्नोत्तरी तैयार/संरचित की जाए और प्रस्तावित किया था कि जून 2007 तक वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किए जाएं। तदनुसार, भारत में परिचालनरत प्रमुख विदेशी बैंकों तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों के साथ एक विस्तृत चर्चा के बाद एक सर्वेक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया था।